131
6|9|12

खण्ड-6 संख्या-4,5

सत्यमेव जयते

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

विधान-सभा (वादवृत्त)

सरकारी प्रतिवेदन

(षष्ठ सत्र)

भाग-02 (कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 12 मार्च, 1987 ई०

शुक्रवार, तिथि 13 मार्च, 1987 ई०

इस सम्बन्ध में मैं पशुपालन विभाग की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज पशुपालन विभाग को माफिया चलाता है। माफिया एक गिरोह जैसा है, वह चला रहा है। इसमें एक करोड़ पचहत्तर लाख का घोटाला हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि गत् वर्ष बाढ़ के नाम पर विभाग को 38.40 लाख रुपया राहत कार्य के लिये दिया गया। यह राशि राजस्व एवं साहाय्य विभाग की तरफ से आवंटित की गयी थी। इसमें से 2.40 लाख रुपया खर्च किया गया और बकिए सारा का सारा पैसा गोलमाल कर दिया गया। जो प्राइवेट दूकानदार हैं, पटना के जो दूकानदार हैं, उनके नाम से चिट्ठी लिखी गयी और सारा पैसा ऐसे लोगों के नाम डाल दिया गया। इन्होंने मवेशियों के लिये न चारा खरीदा और न किसी तरह का साहाय्य कार्य किया। पशुपालन विभाग के निदेशक ने इस तरह सारे पैसे का गवन कर लिया ......

उपाध्यक्ष : आप कृपया अभी बैठ जायें।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जाना

श्री राजो सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक तिथि 11 मार्च, 1987 को सभा की बैठ के तुरंत पश्चात्, अध्यक्ष महोद‍य के सभापतित्व में हुई। उक्त बैठक में अध्यक्ष महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :—

श्री बिन्देश्वरी दूबे,	मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह,	मंत्री,	सदस्य
श्री मो० हिदायजुल्लाह खां,	मंत्री,	सदस्य
श्री शिवनन्दन पासवान,	उपाध्यक्ष.	सदस्य

विशेष आमंत्रित

श्री राम लखन सिंह यादव, स० वि० स०

श्री राजो सिंह, स० वि० स०

समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की :—

1. तिथि 19 एवं 20 मार्च 1987 को वित्तीय कार्य की समाप्ति के बाद क्रमानुसार निम्नलिखित विधेयक लिये जायें—

(क) बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 1985 (परिषद् द्वारा यथा पारित)

(ख) बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 (परिषद् द्वारा यथा पारित)

(ग) बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड विधेयक, 1986 (परिषद् द्वारा यथा पारित)

(घ) बिहार ऊख आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1987

(ङ) बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1987

2. तिथि 21 मार्च, 1987 को क्रमानुसार निम्नलिखित विधेयकों का व्यवस्थापन हो,

(क) ताना भगत रैयत कृषिक भूमि प्रत्यावर्त्तन (संशोधन) विधेयक, 1987

(ख) बिहार राज्य कमजोर वर्ग विधिक सहायता (संशोधन) विधेयक, 1987

(ग) बिहार राजपत्रित पदाधिकारी तदर्थ नियुक्ति नियमितीकरण (संशोधन) विधेयक, 1987

(घ) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1987

(ङ) बिहार कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 1987

3. शेष कार्य यथावत् रहेंगे।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

तिथि 11 मार्च, 1987 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर पासवान (क्रमशः) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा था कि भ्रष्टाचार का निवारण कैसे हो, हमारे मुख्यमंत्री का सपना कैसे पूरा हो। जब तक विभागीय पदाधिकारियों का सहयोग नहीं होगा और माननीय सदस्यों के अपील पर सुनवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं चर्चा कर रहा था पशुपालन विभाग के निदेशक के बारे में कि कैसे माफिया गिरोह चल रहा है उनके इशारे पर। एक करोड़ पचहत्तर लाख का गबन उन्होंने किया है। मैं उसके लेखा-जोखा के बारे में कहना चाहता हूँ। जहाँ तक किर्लोस्कर जेनरेटर सेट खरीदने की बात है, इसकी कम्पनी खुद पटने में है, साथ ही इसके स्टाकिस्ट भी हैं। इसके बावजूद भी निदेशक, पशुपालन ने पटने के ही अपने दवा दूकानदार से वही किर्लोस्कर जेनरेटर अधिक दाम में खरीद किये हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने 5 के० भी० ए० का अनुमोदन किये हैं जबकि किर्लोस्कर के यहाँ 5 के० भी० ए० का बनता ही नहीं है बल्कि 6 के० भी० ए० का बनता है। 6 के० भी० ए० का दाम 27,202.91 रुपये है जिसको उन्होंने 45,000 रुपये में

खरीदा है। 15 के० भी० ए० का दाम 61,026.98 है जिसको उन्होंने 99,300 रु० में खरीदा है। 20 के० भी० ए० का दाम 71,880.26 है तो उन्होंने 1,25,000 रु० में खरीदा है। 25 के० भी० ए० का दाम 83,284.76 है तो उन्होंने 1,35,000 रु० में खरीदा है और 40 के० भी० ए० का दाम 1,03,252.96 है तो उन्होंने इसे 1,50,000 रु० में खरीदा है। इसी तरह उन्होंने लीयोनार्ड डीप फ्रीज (20 डिग्री) के 425 लीटर का दाम 13,500 रु० है तो उन्होंने 32,500 रु० में खरीदा है, 275 लीटर का दाम 9,350 रु० है तो उन्होंने 27,300 रु० में खरीदा है और 85 लीटर का दाम 5,630 रु० है तो उन्होंने 17,200 रु० में खरीदा है। इस प्रकार 1 करोड़ 75 लाख के गबन का आरोप निदेशक, पशुपालन के ऊपर है। मैं यह डकुमेन्ट्री प्रूफ के साथ देना चाहता हूँ, ताकि इन पर जांच करायी जाय।

उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामेश्वर पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में घोरघाटी योजना छंठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत थी और 3 करोड़ 25 लाख की योजना थी। वह योजना न छठी पंचवर्षीय योजना में हुई और न सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि घोरघाटी योजना का निर्माण कराया जाय।

हमारे यहाँ एक बी० डी० ओ० एक लाख तिरानवे हजार का गाय-भैंस किसी को नहीं बांटा और कह दिया कि सबको दे दिया गया है। उस बी० डी० ओ० को सजा तो दूर रही उनका ट्रांसफर भी आज तक नहीं हो सका।

श्री सतीशचन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो माननीय सदस्य श्री श्याम सुंदर सिंह धीरज जी ने सदन में पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पिछले विकास की योजनाओं के बारे में कहा है और भविष्य में चलनेवाली योजनाओं के आकार, प्रगति और विकास के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के सेवाकाल का दो साल पूरा हो रहा है और इस अवधि में उनके कुशल नेतृत्व में जो तेज विकास की गति देखने में आयी है, वैसा कोई पूर्वोद्धारण नहीं है। अनेक लम्बित योजनाओं को लागू करने में जिस तत्परता से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी अभिरूचि दिखायी है, यह भी अपने आप में एक उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय, चाहे 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत् हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से हो, सरकार की उपलब्धि निरन्तर बढ़ती जा रही है। मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जहाँ 1984-85 में हमारी वार्षिक योजना 752 करोड़ की थी वहीं आज हमारी वार्षिक योजना 2500 करोड़ की है। खाद्यान्न के भण्डारन और उत्पादन का लक्ष्य जो पहले था उसमें दिनानुदिन वृद्धि होती जा रही है। चावल उत्पादन के लिये एक विशेष योजना चलायी गयी है। हमारे कृषि मंत्रालय के पदाधिकारी और मंत्री के द्वारा जो अभिरूचि दिखलायी गयी है उसके फलस्वरूप चावल के उत्पादन में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 114 प्रखंडों में यह विशेष योजना चलायी जा रही है। सिंचाई के लिये अनेक संसाधन जुटाये गये हैं। सिंचाई के लिये नये

नये नहरों तथा नहरियों के निर्माण कराये गये हैं। उसके संरक्षण में वृद्धि की गयी है, उसके रख-रखाव पर ध्यान दिया गया है जो वर्षों से नहीं हो रहा था। आज इसके चलते किसानों को जमीन पर पानी मिलता है जो पहले कागज पर मिला करता था। हमारे क्षेत्र सहरसा में एक राजपुरा नहर है जिसकी मरम्मती और सुदृढ़ीकरण कराना नितान्त आवश्यक है। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर बिहार में जल निस्सरण की समस्या थी। वर्त्तमान सरकार की यह मंशा है कि ड्रेनेज की समस्या को सदा-सदा के लिये खत्म कर दें। इस सम्वन्ध में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गत सत्र में विधान-सभा में घोषणा की थी कि तटबंध के बीच में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, जो भीषण परेशानी से गुजर रहे हैं उनको राहत दिलाने का उपाय किया जायेगा। कोशी तटबंध के अन्दर रहनेवाले चाहे जिस स्तर के लोग हैं उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिये, उनके विकास के लिये एक अभिकरण की स्थापना की गयी है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि कोशी पूर्वी तटबंध की हालत बहुत ही दयनीय है। यह किसी भी क्षण टूट सकता है। इसके निर्माण के समय इसकी आयु 25 वर्ष तय की गयी थी। 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही इसमें बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है। कई जगह बाँध क्षतिग्रस्त हो गया है। पूर्वी भाग में रहने वाले लोग हमेशा भयाक्रान्त रहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूर्वी तटबंध को निश्चित रूप से ठीक किया जाय। कोशी योजना में लंबित हाईडैम अविलम्ब बनाया जाय, साथ ही इस अभिकरण में तटबंध के दोनों ओर कम से कम 20 मील समानान्तर

पड़ने वाले सभी जगहों को उस अभिकरण में लिया जाय।

हमारी सरकार की हमेशा से यह मंशा रही है कि हम स्वच्छ और चुस्त प्रशासन दें। हम जो भी काम करें, हमारी जो निधि है, उसकी उपयोगिता हो और जमीन पर हो। लेकिन, कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो जान-बूझकर राज्य और देश की प्रगति में रोड़ा अटकाया करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाय और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय। प्रशासनिक सुधार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पदाधिकारियों की जो पोस्टिंग होती है उसमें पक्षपात का रवैया अपनाया जाता है और कार्मिक विभाग में घूस लिया जाता है। हमारे यहाँ जितने अच्छे पदाधिकारी थे जो सही माने में विकास से मतलब रखते थे उन्हें ऐसी जगह पदस्थापित कर दिया गया है कि चाह कर भी वे विकास का काम नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे पदाधिकारियों को पदस्थापित कर दिया गया है जिनसे विकास का काम हो ही नहीं सकता। महिषी प्रखंड में जो बी० डी० ओ० थे उन्हें एस० डी० ओ० सहरसा बना दिया गया है। इससे प्रशासन में जड़ता आ गयी है और उनके स्वभाव के कारण न तो कोई विकास का काम हो रहा है और न ये हमारे क्षेत्र में विकास होने देना चाहते हैं। एक विकट स्थिति बन गयी है। इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि एक केशव प्रसाद हैं जो कार्मिक विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी हैं। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और जात-पात फैलाते हैं। भ्रष्ट पदाधिकारियों को प्रश्रय देते हैं। अच्छे पदाधिकारियों पर हमेशा इनकी कुदृष्टि रहती है। अच्छे पदाधिकारियों को फिल्ड में ये पदस्थापित नहीं करना चाहते हैं। इससे

विकास के कामों में बाधा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं क्षेत्र सहरसा के कहरा प्रखंड की समस्याओं की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिला को नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया था और वहाँ ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने की घोषणा की थी। अत्यन्त खेद की बात है कि उद्योग विभाग के उच्च पदाधिकारियों के चलते वहाँ ग्रोथ सेन्टर की स्थापना करनें में विलम्ब कराया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर अविलम्ब ध्यान दे। वहाँ किस तरह का इंडस्ट्री लगे इस पर समुचित व्यवस्था करे और इसके लिये एक पदाधिकार की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका काम सिर्फ ग्रोथ सेन्टर के कार्य तक ही सीमित रहे। इससे उद्योग लगाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। अतः किसी वरीय उद्योग विभाग के पदाधिकारी को लगाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से तिलावे और ढेमरा धार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसका रख-रखाव नहीं हो रहा है। 1984 में बाढ़ आने के कारण इसकी संरचना बदल गयी। पिछले साल दोनों नदियों में ओभरफ्लो हो जाने के कारण लगभग 8 हजार हेक्टेयर जमीन में धान की लगी फसल बर्बाद हो गयी और अभी तक पानी लगा हुआ है। मैं चाहूँगा कि दोनों घाट के तटबंधों को ऊँचा किया जाय और आवश्यकतानुसार स्लूइस गेट लगाया जाय। साथ ही साथ तिलावे में अमरपुर के पास एक पुल बनाने की आवश्यकता है। पिछले सत्र में भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि हर साल वहाँ दो-चार मौतें हो जाती हैं और डेढ़ किलोमीटर दूरी तय करने के लिये 50 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। इसलिये इस पुल का

निर्माण शीघ्र करवाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि सहरसा में मंडल भारती विश्वविद्यालय की मांग को यदि निकट भविष्य में पूरा नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा जन-आन्दोलन उभर कर सामने आने वाला है। दूसरी बात यह कहनी है कि भारत सरकार ने महिला पोलिटेकनिक खोलने के लिये शत-प्रतिशत् अनुदान देने का प्रावधान किया है। मैं चाहूँगा कि सहरसा में एक महिला पोलिटेकनिक की स्थापना की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो कहरा प्रखंड है वह 22 किलोमीटर लम्बा और 14 किलोमीटर चौड़ा है जो उत्तर बिहार में सबसे बड़ा है। प्रशासनिक दृष्टि से, सामाजिक सुधार की दृष्टि से इसका विभाजन होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिये इस प्रखंड को दो भागों में विभाजित किया जाय। मैं चाहूँगा कि सरकार इस ओर यथाशीघ्र ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि वनपाल की नियुक्ति के बारे में पिछले सत्र में भी बातें उठी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि जितने भी प्रतीक्षा सूची में वनपाल हैं, उनकी नियुक्ति जरूर कर ली जायेगी, लेकिन वन विभाग के सचिव एवं संयुक्त सचिव की मिलीभगत से यह नियुक्ति नहीं हो रही है और खुले शब्दों में इन लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। मैं चाहूँगा कि सरकार अविलम्ब इस पर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 1984 में आये बाढ़ से भीषण

बर्बादी हुयी और उसकी क्षतिपूर्त्ति खास करके सड़क और बिजली के मामले में अब तक नहीं हो पायी है। वनगाँव-पररी सड़क जो जिला परिषद् की सड़क है, के लिये माननीय मुख्यमंत्री ने अपने वृत्त संख्या–503, दिनांक 2.9.86 के द्वारा आदेश दिया कि इस वर्ष इसको टेक अप कर लिया जांय, लेकिन अभी तक इसको टेक अप नहीं किया गया है। साथ ही साथ चयनपुर गाँव में बाढ़ के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो गयी थी, आज तक उसका रेस्टोरेशन नहीं हो पाया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में हमारा क्षेत्र आज तक सबसे पिछड़ा हुआ है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री कलीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूँ तथा माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर सिंह धीरज द्वारा जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जनतांत्रिक प्रणाली में राज्यपाल के अभिभाषण का खासा महत्व होता है। राज्यपाल का अभिभाषण एक दर्पण है जिसमें सरकार की अतीत उपलब्धियाँ एवं कार्य तथा वर्तमान कार्यक्रमों एवं होनेवाली उपलब्धियां प्रतिबिम्बित होती हैं। 1987-88 में जो सरकार की उपलब्धियां होनेवाली हैं उसका प्रतिबिम्ब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिलता है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जितनी बातों की चर्चा की हैं उसको सामने रखें तो हमें मालूम होता है कि हमारी सरकार ने कितनी

सफलताएं प्राप्त की हैं। 1984-85 में हमारा बजट जहाँ 751 करोड़ रुपये का था वहीं 1987-88 में 1500 करोड़ रुपये का हो गया है यानी 1987-88 में हम विकास के मद में 1500 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार एक सामाजिक वातावरण तैयार करने में, हमारे राज्य की आर्थिक व्यवस्था को, उसकी इकोनोमी को सुदृढ़ बनाने में अच्छा काम दिया है। मैं सिर्फ तीन-चार बातों की विवेचना करना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र गन्ना का क्षेत्र है। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 3-5 लाख टन ईख की पेराई हुई है और 1987-88 में चीनी मिल 3-6 लाख टन करनेवाला है। इस प्रकार हमारी सरकार ने उद्योग क्षेत्र में खूब रूचि ली है और सही माने में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभायी है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने विधि सहायता की व्यवस्था राज्य में करके क्रान्तिकारी कदम उठायी है। 18 हजार मुकदमे वापस करवा दिये गये। पूरे राज्य में लोक अदालत लगायी गयी जिसके कारण इतने मुकदमे वापस हो सके हैं और इसका नतीजा आज यह है कि मुकदमा लड़ने वाले और आम जनता के बीच एक नयी क्रान्ति आई है। इसका स्वागत सारे बिहार राज्य की जनता ने किया है।

इसी तरह से एक बात की चर्चा और मैं करना चाहता हूँ वह है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी राज्य तथा देश में मिशनरी स्कूल की तरह सुविधा गरीब और निम्न स्तर के लड़कों को नहीं मिलती थी लेकिन सरकार ने राज्य में 6 नवोदय विद्यालय खोलकर वे सारी सुविधायें उन्हें दे रही हैं जो मेधावी हैं, परन्तु निम्न और मध्यम वर्ग के हैं। इससे

बिहार की जनता में बड़ा हर्ष है। इस तरह के स्कूल अगले वर्ष 10 और खोले जायेंगे यह बहुत ही अच्छी चीज है।

इसी तरह से राष्ट्र में जो आपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया है और उसको बिहार राज्य में भी जो लागू किया जा रहा है इसका पूरे राज्य में स्वागत किया जा रहा है। अब मैं दो-तीन बात और कहना चाहूँगा जिसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कमी है। नवम् बिहार विधान सभा के पिछले सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिये कई पृष्ठों में चर्चा की गयी थी जो इस बार नहीं है, जैसे उन्हें बहुत सी बातों में सब्सिडी देने के सम्बन्ध में कहा गया था उनके भाषा के सम्बन्ध में उसमें जिक्र था और अल्पसंख्यक समुदाय के युवा लोगों को रोजी देने की बात थी, लेकिन इसमें उसका अभाव है। हमारे प्रधान मंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिये एक पन्द्रह-सूत्री कार्यक्रम चलाया है जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी रखा था। देश में आज दूसरे-दूसरे राज्यों में यह चल रहा है मगर यहाँ उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है जबकि पड़ोसी राज्य यू० पी० में भी उसके अनुसार वहाँ काम हो रहा है अल्पसंख्यकों के हित के लिये। इसे बिहार में भी लागू होना चाहिये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका उल्लेख होना चाहिये था, जो नहीं है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये सरकार में एक सेल बनाया जाना चाहिये। जिन 234 मदरसों का अधिग्रहण किया गया है उसमें काम करने वाले शिक्षकों का वेतन तथा सेवा शर्त्त तय नहीं हो सका है। मेरा विचार है कि बिहार के जिन-जिन जिलों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा मानकर काम नहीं हो रहा है वहाँ भी शुरू करवाया

जाय, परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई क़दम नहीं उठाया जा रहा है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये एक निगम का गठन किया था लेकिन उसको जितना आवंटन देना चाहिये उतना नहीं दे रही है मात्र एक करोड़ का आवंटन होता है उससे अल्पसंख्यकों का क्या कल्याण हो सकेगा। इतनी छोटी सी राशि से राज्य के 39 जिलों में अल्पसंख्यकों के लिये इससे क्या कल्याण का काम हो सकता है। इस राशि को बढ़ाया जाय, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या काम हो सकेगा......

श्री सदानन्द सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है?

उपाध्यक्ष : सचिव आप गिन कर देख लें कितने सदस्य हैं?

(गिन कर देखने पर पता लगा कि कोरम है।)

उपाध्यक्ष : कोरम सही है।

श्री कलीमउद्दीन अहमद (क्रमशः) : मैं कहना चाहता हूँ कि मैथली को भारतीय संविधान के अष्टम सूची में स्थान मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लगातार विधान-सभा सत्र में अपने क्षेत्र का 3-4 ज्वलन्त समस्याओं को उठाया है और हमलोगों ने विवेचना की है। वे अभी तक साकार नहीं हुए हैं। इसके अलावा मेरे क्षेत्र के विसफी प्रखंड में धौस नदी पर एक करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से एक पुल निर्माण का निर्णय लिया गया है जिसका शिलान्यास दिनांक 26 मार्च 1987 हो होनेवाला है। ठीक उसी तरह से सिंधवारा प्रखंड में अरई सरवारा के बीच में एक पुल का निर्माण होना आवश्यक है जिसकी चर्चा हमेशा होती रही है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रैयाम चीनी मिल के चारों तरफ फ़ैली हुई सड़क की

मरम्मती करना एवं औसी रैयाम सड़क पर पुल का निर्माण होना अतिआवश्यक है।

उपाध्यक्ष : अब सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : चूंकि बोलने वाले माननीय संदस्यों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए मेरा आप सबों से पुनः निवेदन होगा कि अब पांच मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री राजो सिंह : कल शुक्रवार है। कल 9 बजे एसेम्बली का समय कर दें तो सरकार का जवाब हो जाय।

अध्यक्ष : इस बीच हम विचार करेंगे जो संभव होगा वही करेंगे।

अध्यक्ष : ठीक है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे।

श्री हरिहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्पाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है मैं उसकी औपचारिकता पूरा करना नहीं चाहता, बल्कि जो राज्यपाल के अभिभाषण में बिहार के सर्वांगीन विकास की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है और सरकार की नीतियों की उद्घोषणा हुई है उसमें वास्तविकता है इसलिये मैं इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम एक ऐसे दल से आते हैं, एक ऐसे पक्ष से आते हैं जिसकी गुरूत्तर जिम्मेबारी इस देश के 40 वर्ष के संसदीय इतिहास में रहा है और हमारे दल का, हमारी सरकार के कामों का जनता पर व्यापक असर होता रहा है। इसलिये

मैं दो चार शब्दों में इन वातों का वर्णन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जबसे मुख्यमंत्री श्री दूबे जी ने इस राज्य का कार्यभार संभाला जीवन के हर क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। प्रगति का मापदंड यह है कि वह सिर्फ कागज पर नहीं है बल्कि आज लोग यह महसूस कर रहे हैं कि इस राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी हो गयी थी वह समाप्त सम्पूर्ण रूप से नहीं हुई है लेकिन निश्चय ही उस पर अंकुश लगा है। विकास के साथ-साथ बिहार के साढ़े सात करोड़ जनता यही महसूस करती है जो अपने आप में कीर्तिमान है। अध्यक्ष महोदय, बिहार कीं जनता के नाम, बिहार के लोगों के लिये, जो बजट प्रस्तुत किया गया है जिसकी अभिव्यक्ति राज्यपाल के अभिभाषण से परिलक्षित होती है कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीन विकास की रूपरेखा है।

आप सभी जानते हैं कि इस देश का और साथ-साथ इस राज्य की जनता कृषि पर निर्भर करती है। मूल रूप से यह कृषि प्रधान देश और राज्य है। कृषि जो आर्थिक स्रोत का मूलाधर है। इस राज्य में कृषि में एक कीर्तिमान पैदा हुआ है। इससे पहले शायद इतना ज्यादा अन्न का उत्पादन नहीं हुआ था। बिहार के विभिन्न क्षेत्र में जो प्रगति हुई है दूबे जी के नेतृत्व में वह सराहनीय है। यद्यपि अध्यक्ष महोदय ने समय की सीमा बाँध दी है और मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ इसलिए लघु सत्र होने की वजह से भी, बरबस अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा अपने जिले की कुछ बातें कहना चाहूँगा जो अप्रासंगिक नहीं होगा। मुख्य रूप मे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होता है और कुछ नीतिगत बातें

कहनी होती है। लेकिन, मैं अध्यक्ष महोदय से माफी मांगता हूँ कि अपने क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में दो-चार शब्द कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि बिहार का पलामू जिला पिछड़ा जिला है जो क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टिकोण से चायबासा के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। वहाँ एक बड़ी सिंचाई योजना चल रही है जिसका नाम उत्तर कोयल परियोजना है लेकिन मूल रूप से उस योजना से पलामू को कोई लाभ नहीं है। हमारे जिले में ओरना स्कीम है। पिछले सत्र में भी मैंने इस योजना का जिक्र किया था जब मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री यहाँ बैठे हुए थे। इस जलाशय योजना पर पर्याप्त राशि का आवंटन जब तक नहीं होगा तब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। आज भी मैं पुनः उस बात को दुहराना चाहूँगा कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये अधिक धनराशि का आवंटन किया जाय, साथ ही साथ जीरो आवर में कुछ सदस्यों ने जपला सीमेंट कारखाना की चर्चा की है जो हमारे क्षेत्र में ही पड़ता है। वह पुराना उद्योग है, उसकी स्थिति यह है कि वह 15 महीनों से बन्द है और उसके 15 हजार मजदूर परिवार बेकार पड़े हुए हैं और दाने-दाने के लिये तरस रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण था उस दिन जबरन कुछ मजदूरों को लाकर माफिया गिरोह के लोगों ने मजदूरों से राज्यपाल का घेराव कराने की साजिश की। वे पलामू को नहीं जानते हैं। माफिया गिरोह का धनबाद में चलती है लेकिन पलामू के हुसैनाबाद में माफिया गिरोह घूमते हैं और वे महीनों से वहाँ धमाचौकड़ी मचाये हुए हैं लेकिन सिवा दंगा करवाने के अलावे कुछ इनको हाथ नहीं लगने वाला है। 1977 में भी पलामू में जनता पार्टी

का चिराग जलाने वाला नहीं था। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इससे उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि माफिया गिरोह ने जबरन मजदूरों को पकड़कर राज्यपाल का घेराव कराया जिससे 300 मजदूरों को जेल में बन्द कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूरों को जेल से छोड़ने के पहले माफिया गिरोह को जेल में बन्द करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि जपला सीमेंट कारखाना बन्द है–उसको सरकार खोलवाने का उपाय करे। जपला सीमेंट के लिये माननीय मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी किया है वह भूरी-भूरी प्रशँसा करने योग्य है। लेकिन इतना ही से काम चलने वाला नहीं है, उससे और आगे बढ़कर उपाय करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि जपला सीमेंट फैक्ट्री खोलनेवाले के लिये जो भी उपाय करने की आवश्यकता है वह होना चाहिए और सरकार को उसको करना चाहिए। ताकि, माफिया गिरोह को उचित उत्तर दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्र हुसैनाबाद क्षेत्र है। मैंने पहले ही कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान में अपने क्षेत्र और जिले की चर्चा करना चाहता हूँ। जपला से हरिहरगंज वर्षों से पुरानी 1971 में एक योजना सड़क बनाने के लिये ली गयी थी। वह बेकार पड़ा हुआ है। पलामू के दो-दो भूतपूर्व जिला कलक्टर और एस० पी० ने उस क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था। जपला-पथरा रोड को बना देने से वहाँ की जनता के लिये ही नहीं, बल्कि प्रशासन के लिये भी अच्छी बात होगी। प्रशासन की दृष्टिकोण

से भी उसको बनाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूँगा, मैं शिक्षा मंत्री से मिल भी चुका हूँ। जपला जो हुसैनाबाद कंस्टीच्यूयेन्सी के नाम से विख्यात है। किसी भी अंचल से वहाँ की आबादी सबसे ज्यादा है। मैंने वहाँ एक नवोदय स्कूल खोलने के लिये कहा है। मुख्यमंत्री ने इसको मान भी लिया है। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहाँ एक नवोदय स्कूल खोलवाने की व्यवस्था की जाय। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने से वहाँ का पिछड़ापन दूर हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी मिल चुका हूँ। मैं पथ निर्माण विभाग के मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जपला-पथरा सड़क का निर्माण अवश्य करने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम जिस गति से बढ़ रहे हैं, विकास की जो भी गति हमारी है, अपने सीमित साधनों से जो काम हो रहा है–इससे अच्छी प्रगति नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारी जितनी चाह है, जितनी इच्छा है, बजट में जो साधन मुहैय्या है, उससे सारे के सारे कार्य पूरे नहीं किये जा सकते हैं। लेकिन निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं अपने कुछ मित्रों को कहना चाहता हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने के लिये, कटिबद्ध विकास करने के लिये अपने में दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री के सतत् प्रयास से जो राशि आवंटित

की गयी है 1987-88 के लिये वह काफी प्रशँसनीय है और यह एक दृढ़ बजट है। यह काम ज़नजागरण से नहीं किया जा सकता है। यह बात साफ है कि दूबे जी राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का उपाय कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जपला सीमेंट कारखाना की जो स्थिति सामने है उसके बारे में फिर मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, कि जपला सीमेंट फैक्ट्री को अविलम्ब खोलवाने का प्रयास करें। ऐसी करने से वहाँ के 15 हजार बेकार मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर चल रहे वाद-विवाद पर वोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान सरकार के दो वर्ष पूरे हुए हैं। इस मुख्यमंत्री के आज तक दो वर्ष पूरे हो चुके हैं और सचमुच में इसमें कोई दो राय नहीं कि ये दो वर्ष उपलब्धियों के वर्ष रहे हैं और इसके लिए वर्तमान मुख्यमंत्री को सदन की ओर से धन्यवाद देना चाहिए। ये दो वर्ष इसलिए उपलब्धि के वर्ष हैं अध्यक्ष महोदय, आप देखें, न तो यहाँ कोई औद्योगिक अशांति हुई, न किसी तरह का कोई साम्प्रदायिक दंगा हुआ और आप स्वयं देखते हैं अध्यक्ष महोदय, कि इन दो वर्षों में चाहे वह गरीवी रेखा से ऊपर उठाने की बात हो, चाहे एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० में श्रम दिवस सृजित करने की बात हो या अन्य प्रगति के जितने कार्य हैं, उसमें काफी उपलब्धियाँ हैं। आपको पता है अध्यक्ष्य महोदय कि 7 लाख 79 हजार 493 व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है 12 तारीख तक, इन दो वर्षों में। उसी तरह से आपको पता है अध्यक्ष महोदय कि राष्ट्रीय

ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत् 630 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत् 488 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। उसी तरह से आपको पता है अध्यक्ष महोदय कि इन दो वर्षों में 25 हजार 8 सौ 46 एकड़ अधिशेष भूमि भूमिहीनों के बीच बांटी गयी है। 911 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया गया हैं। उसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता देने की बात को लें तो अनुसूचित जाति के 4 लाख 60 हजार 486 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी हैं। और अनुसूचित जनजाति के दो लाख 32 हजार 443 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी है। 3 हजार 478 समस्याग्रस्त गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है और 57 हजार 555 बीघा जमीन स्थलविहीनों के गृह निर्माण के लिए दी गयी है और 20 हजार 447 घर ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों के बीच बांटे गए हैं। यह कम उपलब्धि नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं यह देखता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि जहाँ वर्ष 1984-85 में हमारी वार्षिक योजना का मद 571 करोड़ रुपये का था, आज 1987-88 में वह लगभग दुगुना हो गया है, लगभग 1500 करोड़ रुपयें का। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन और आन्तरिक संसाधन उपलब्ध कराकर काफी प्रगति की है और यही कारण है कि आज हमलोगों की वार्षिक योजना बहुत बड़ी आकार में है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हम सबसे आगे हैं। मैंने गत् वर्ष कहा था अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के क्रम में मैंने कहा था कि इस देश में कांग्रेस का कोई विकल्प

नहीं है और मैंने यह भी कहा था कि इस देश में श्री राजीव गांधी का कोई विकल्प नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सदानन्द सिंह : आप बैठिये। अभी क्या है जो आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सदन में नहीं थे, सुना है राम जयपाल बाबू ने ......

श्री सदानन्द सिंह : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : कैसे नहीं व्यवस्था का प्रश्न है। हम सदन में नहीं थे। राम जयपाल बाबू ने व्यक्तिगत आरोप लगाया है और राम जयपाल बाबू ने कहा है कि हम गुण्डई के बल पर कोऑपरेटिव का चुनाव जीतने गए थे। इस पर हमारा स्पष्टीकरण है कि चुनाव लड़ने ही नहीं गया था तो जीतने हारने का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ठीकेदारी की बात कही है तो राम जयपाल बाबू खुद रिलीफ के मंत्री हैं और इनका एक भतीजा रामजीवन बाबू ठीकेदार हैं जो कल भी राईफल लेकर सारे ठीकेदारों को चहेटे चल रहे थे.....

अध्यक्ष : इसका अंत नहीं होगा, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसीलिए तो यह छपरा से चुनाव नहीं लड़ते हैं बाहर से जाकर लड़ते हैं।

अध्यक्ष : आप बैठ जायें। माननीय सदस्य, श्री सदानन्द सिंह जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा इस देश में कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है और राजीव गांधी के नेतृत्व का कोई

विकल्प नहीं है। इस समय मैं देख रहा हूँ और उस समय भी मैंने कहा था कि विरोधी पार्टियां टूट चुकी हैं, लोक दल टूट चुका है। इसलिये कांग्रेस का विकल्प नहीं बन पाया है अभी तक। यह बात ठीक है कि कुछ राज्यों में आवाज उठी है और क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं। बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी बनी है, लेकिन उसमें भी ह्रास हो रहा है और यह दूबे जी की लोकप्रियता है। सचमुच में माननीय मुख्यमंत्री ने इस राज्य को प्रगति की आयाम के द्वारा प्रगति का अवसर दिया है। उनके शुभचिन्तक की हैसियत से, कुछ जगहों में खामियां हैं, जिसको मैं कहना चाहता हूँ। 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ बातें कही गयी हैं। आज जिला स्तर की कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लिया है। हमारे जिला के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र बाबू इंचार्ज हैं। यह बात अकाट्य सत्य है कि जिला स्तर की समिति की बैठकों में जिला स्तर के पदाधिकारी नहीं आते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि प्रगति की बात कही जाती है। हमलोग लड़ते-झगड़ते हैं लेकिन तब हमलोगों को परेशानी होती है जब कुछ नहीं होता है। खुद मंत्री जी गत् बैठक में आये थे और 20-सूत्री का कार्यान्वयन जिस तरह हो रहा है उस तरह नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भागलपुर के जो आयुक्त थे जिन्होंने एन०आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के पैसों से छड़ और लकड़ी खरीद लिया। आयुक्त भागलपुर ने खुद लिया है, इसका कोई निदान नहीं है। इसलिये मैंने कहा कि 20-सूत्री के कार्यान्वयन का कार्य खुद करें। कहा गया है कि जिला स्तर पर उपसमितियां बनाई गयी हैं। अन्य

जिलों की बात मैं नहीं करता हूँ। परन्तु, भागलपुर जिला में उपसमिति नहीं बनाई गयी है। आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की चिन्ता है कि 20-सूत्री का ठीक ढंग से कार्यान्वयन हो। लेकिन नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, बहुत बातें होती हैं सिंचाई और विद्युत की। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 80-81 वर्ष में जहाँ 80 हज़ार हेक्टेयर भूमि में हम सिंचाई क्षमता सृजित कर सके थे वहाँ 81-82 में मात्र 139.96 करोड़ रुपये में सिर्फ 133 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित कर सके। आज 86-87 में सिर्फ 65 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित कर पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि इस वर्ष हमलोग 322 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं और यह गति जो आपकी है 139.76 करोड़ रुपये में सिर्फ 133 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित किये थे। यह आपकी गति है और जो आपका तरीका है इस तरीका से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पायेंगे। आप जानते हैं कि अभी हम कर ही क्या पाये हैं। सिंचाई मंत्री बहुत लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि सिंचाई मंत्री बहुत लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं, तो क्या मैं पूछूं कि उन्होंने कभी मोनेटरिंग करने की कोशिश की है। नहीं, कोशिश नहीं हुई है। अगर मोनेटरिंग करेंगे तो देखेंगे कि सिंचाई में काफी प्रगति नहीं हुई है। विद्युत की बात करते हैं। प्रश्नकाल के दरम्यान विद्युत की बात उठायी गयी। इसमें दो राय नहीं है कि विद्युत की कमी है। यह बात बोलते हैं प्लांट लोड फैक्टर की। राज्यपाल के अभिभाषण में देखा है अध्यक्ष महोदय,

इन्होंने लिखा है 1987-88 में प्लांट लोड फैक्टर 402 हो जायेगा।' जब तक प्लांट लोड 70 नहीं होगा, पूरी उपलब्धि नहीं पा सकेंगे। अभी 2200 से 2500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। मुश्किल से चार सौ पांच सौं मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पाता है। कहीं से तीस मेगावाट कहीं से दस बीस मेगावाट बिजली ये लेते हैं। यह स्थिति आज बिजली और सिंचाई की है। बिजली और सिंचाई की स्थिति सचमुच बहुत दयनीय है। मैं कहना चाहता हूँ, ठीक ही कहा है पीछे से किसी सदस्य ने, मैं खराब शब्दों में नहीं कहना चाहता हूँ, विद्युत बोर्ड एक लिमिटेड कम्पनी हो गयी है। मैं सभ्य भाषा में यह कहना चाहता हूँ। वह इसलिये मैं कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि भागलपुर में वह घटना क्यों घटी। नाथ नगर की घटना अध्यक्ष महोदय, इसलिये घटी कि बैठे-बैठे विद्युत विभाग के पदाधिकारी मीटर रिडिंग करते हैं, कोई मीटर रिडिंग करने नहीं जाता है। हमारे यहाँ पटना में एक बार 11 सौ रुपये का चार महीने का मीटर रिडिंग करके भेज दिया और मैंने पेमेंट कर दिया। नाथनगर के गरीब लोगों के साथ भी वही हुआ, पैसा वसूलने गये, नहीं मिलने पर लाइन काटने के लिए अफसर को भेज दिया। भागलपुर का जेनरल मैनेजर ऐसे आदमी को बनाया गया है, जो सब दिन मार खाता है। उसने वहाँ एक डी० एस० पी० की हत्या करवा दी। हरिजन डी० एस० पी० की हत्या करा दी। इन सारी बातों के चलते उसकी हत्या हुई। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, गरीबों के साथ इस तरह की बात हो रही है। हमको लगता है कि विद्युत बोर्ड पर रामाश्रय बाबू का कोई नियंत्रण नहीं है। वह एक लिमिटेड कम्पनी हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बटेश्वर स्थान गंगा पम्पिंग योजना 1980-81 ई० में प्रारम्भ हुई, यह निर्णय लिया गया था कि 1985 में पानी छोड़ दिया जायेगा। लेकिन आज 1987 हो गया और काम अधूरा है। सिंचाई और विद्युत विभाग के बारे में लगता है कि वहाँ एनार्की हो गया है। तेनुघाट में आपने कार्य आरम्भ कर दिया है यह बहुत अच्छी बात है, जरूर बिजली मिलेगी, यह एक अच्छा कदम है, लेकिन कहलगाँव सुपर पावर थरमल की क्या प्रगति है। क्या आपने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में बातें की हैं? क्या आपने इस सम्बन्ध में सरकार पर दबाव डाला है कि केन्द्रीय सहायता से इस कार्य को प्रारम्भ किया जाय। इस योजना में जिन लोगों की भूमि ली गयी उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। आपको पता है कि 26 जनवरी को वहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी। वहाँ के एक अफसर ने, दो वर्षों से कार्यरत कर्मचारी को काम से हटादिया, वहाँ के लोग बहुत उग्र हो गये और उस अफसर पर कातिलाना हमला कर दिया। तो इस तरह की वहाँ की स्थिति है। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। एक समिति बना दें, जो स्थानीय लोगों को, जो लैंड लूजर हैं, प्राथमिकता मिले, नौकरी में इसका ध्यानरखेंगी। बिना इसके वहाँ काम की प्रगति आगे नहीं बढ़ सकेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी उपलब्धि की काफी चर्चा की है। हमारे सनहौला प्रखंड में आठ-दस गाँव ऐसे हैं जहाँ आपने कुआँ बनाने की स्वीकृति तो आज से आठ-दस वर्ष पहले कर दी है, लेकिन वे अब तक नहीं खोदे जा सके हैं। मैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा मंत्री से कहूँगा कि वे इस सम्बन्ध में अपने विभाग से पूछें कि अब तक इस सम्बन्ध में क्यों नहीं कार्रवाई

हुई और कार्रवाई करने की दिशा में कदम उठायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा था और आपको पता है कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी इस बार जो लोकसभा में बजट पेश किया है उसमें एक बात झलकती है कि विकास गाँव की ओर जा रहा है। ग्रामोन्मुख कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्त्तमान मुख्यमंत्री ने भी इस दिशा की ओर कार्रवाई की है और इनका भी जो बजट है, उस बजट को भी कहिये कि ग्राम पक्ष में है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुःखद स्थिति तब होती है जब 15-15 वर्षों से छोटी-सी मात्र तीन किलोमीटर की सड़क नहीं बनती है। मैंने प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद के चेम्बर में आज से 6 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि अधीक्षण अभियंता, आर० ई० ओ० के मेजर यादव हैं जो एक कम्मुनिटी को ही सारा हेल्प करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि आर० ई० ओ० में 38 निविदायें हुई उनमें 35 निविदा को एक वर्ग के लोग को दिया गया। इनके खिलाफ माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह ने जो कांग्रेस बेंच के माननीय सदस्य हैं लिखकर दिया था और उन पर दस आरोप लगाये थे, उनका स्थानान्तरण हो गया है।

श्री सुरेश प्रसाद यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह ने कहा कि वहाँ के जो अधीक्षण अभियंता हैं वे एक खास वर्ग के लिए हैं और उसी का काम करते हैं। वह अधीक्षण अभियंता तो यहाँ पर नहीं हैं, और इस तरह से बिना किसी स्पेशिफिक सुबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, असंसदीय शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, कौन-सा शब्द संसदीय है और कौन-सा असंसदीय, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। तो मैंने कहा कि एक खास वर्ग के लोगों को 38 में से 35 ठीका दिया है और यह बहुत तकलीफदेह बात है। एक श्री महेश यादव ठीकेदार हैं जिन्हें आज से दस वर्ष पहले, तीन किलोमीटर रोड ओगरी-महेशमुंडा पथ का निर्माण कार्य अभियंत्रणा संगठन द्वारा दिया गया जिसे इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन शायद उन्हें 35-36 ठीका दिया गया। जो रोड नहीं बनाता है, उसी को फिर ठीका दिया जाता है। यह बात मैंने सिद्धेश्वर बाबू से कही थी और कहने के बावजूद, वह रोड नहीं बन पाया है। उस अधीक्षण अभियंता का स्थानान्तरण हो गया, आज एक महीना हो गया लेकिन विभागीय पदाधिकारी चार्ज नहीं दिलवा रहे हैं, इस दिशा में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के बारे में यह कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड चलाया जायेगा। मेरा आग्रह है और सभी माननीय सदस्य इस बात को महसूस करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं। सबसे पहले यह बात करनी चाहिए इस सरकार को कि प्राथमिक शिक्षक को स्कूल भेजें और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करें। यह सबसे बड़ा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड होगा। आप इस बात का संकल्प करें कि जितने भी भवनहीन स्कूल हैं उन स्कूलों में आप भवन बनवा दें तो यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं उद्योग के बारे में कहना चाहता हूँ। कल पालित जी ने कहा कि 200 से 600 तक स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज सिक हैं, इन सिक इन्डस्ट्रीज को पुनर्जीवित करने की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है। आज औद्योगिक नीति

के सम्बन्ध में अखबार में देखा। वनविन्डो प्रोग्राम जो है वह भी ठीक नहीं चल रहा है लेकिन मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय कि जो वित्त निगम है, वह बड़े बिजनेसमैन से भी अधिक सूद लेती है और इसका नतीजा है कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज कभी भी नहीं पनप सकता है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। आप जानते हैं कि वित्त निगम सूद-दर-सूद लेता है। इस सम्बन्ध में कार्रवाई होनी चाहिये। मैं वर्तमान सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में कहना नहीं चाहिये लेकिन मैं कहता हूँ। यों तो सरकार कहती है कि पुलिस प्रशासन में काफी उपलब्धि हुई है लेकिन एक बात है जिसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है वह है कहलगाँव के सम्बन्ध में। जो उपेलब्धि हुई है वह मैं भी कहता हूँ लेकिन वर्तमान में इनके डी० जी० हैं वे बिल्कुल निकम्मा हैं। पूरे बिहार में ऐसा कोई आदमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जब कहलगाँव गये तो वहाँ हमने एक डी० एस० पी० के सम्बन्ध में कहा था कि उसकी बदली कर दी जाय, इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने भी लिखा और उन्होंने टेलिफोन भी किया। लेकिन आज तक उस डी० एस० पी० का स्थानान्तरण नहीं किया गया। मैंने कहा था कि वहाँ किसी आई० पी० एस० को पदस्थापित कर दीजिये, मैंने किसी का नाम नहीं कहा था। लेकिन ये डी० जी० ऐसे निकम्मे हैं कि एक डी० एस० पी० का आज तक स्थानान्तरण नहीं हो सका। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूँ कि इस डी० जी० में कोई गति नहीं है। मैं उन्हें चोर नहीं कहता लेकिन वे गतिहीन हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि चुआरी में, जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय भी जानते हैं और वह गाँव उन्हीं के जिला में पड़ता

है। वहाँ 28 तारीख को दस बजे रात में एक युवती को जबरन उठाकर उसके साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसको मार दिया गया। 28 तारीख की यह घटना है। चुआरी से कहलगाँव की दूरी मात्र 3 कि० मी० है लेकिन पुलिस वहाँ 3 तारीख को पहुंची, तब, जब हमने टेलिफोन किया। इंसपेक्टर को पूछने पर उसने कहा कि पर्द बयान पर 24 घंटा के बाद एफ० आई० आर० दर्ज किया जाता है। इस तरह का निकम्मा पुलिस प्रशासन है जो एक एस० पी० और डी० एस० पी० का स्थानान्तरण नहीं कर सकती है, इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि यदि आप पुलिस प्रशासन में सुधार चाहते हैं तो आप वर्तमान डी० जी० को निश्चित रूप से हटा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री ने जो विगत् दो वर्षों में सराहनीय कार्य किया है उसके लिये उन्हें बधाई देता हूँ।

श्री समसु जोहा : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर सिंह "धीरज" द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ बात सदन में कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के लिये माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो इस राज्य के विकास के लिये रात दिन एक किये हुये हैं। इस सम्बन्ध में मैं जनाब एकबाल का एक शेर सुनाना चाहता हूँ :—

"दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़ा हमने,
बहरे जुलमात में दौड़ा दिया घोड़ा हमने।"

इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है बिजली उत्पादन के लिये, सिंचाई के लिये, ग्रामीण सड़क निर्माण के लिये वह सराहनीय है। विगत् दो वर्षों में जो काम इन्होंने करवाया है वह काबिले तारीफ है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे बहुत ही कम समय बोलने के लिये दिया गया है इसलिये मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के समक्ष रखूं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र की जो बनावट यह है कि दक्षिण में हमारा क्षेत्र गंगा से घिरा हुआ है और उत्तर में गंडक नदी से घिरा हुआ है। हमारे सामने में सबसे अहम् सवाल है गंगा नदी से हमारे क्षेत्र के चार ग्राम पंचायतों का गंगा की कटाव के चपेट में पड़ जाना। उन चार पंचायत में पहला है–सोनबरसा-हसनपुर पंचायत, दूसरा है कोहवा-नौरंगा पंचायत, तीसरा है मदसूनपुर पंचायत और गोखले नगर विसनपुर पंचायत। इन चारों पंचायत के गाँव गंगा के कटाव के कारण गंगा के पेट में चला गया है। कुछ गाँव और जमीन अभी बाकी है। इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न भी किया था जिसमें सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि संरक्षण दिया जायेगा। इस बात को पी० पी० सी० की बैठक में भी उठाया गया था और इस सम्बन्ध में सरकार ने एक करोड़ रुपया भी मंजूर किया, लेकिन बरसात के पहले यह काम नहीं हो सका जिससे वहाँ तबाही रही। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी सूखा का समय है, इस समय उसके लिये स्वीकृत राशि आवंटित की जाय ताकि वह योजना पूरी हो सके। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कसवा हुसैना योजना के लिये राशि सरकार आवंटित कराये और उसे चालू कराये। दूसरी बात मैं कहना

चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बिजली उपकेन्द्र 83 में ही बना देने की घोषणा की गयी जो बना भी, लेकिन पता नहीं वह अभी तक किस कारण से चालू नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में विधानसभा में मैंने प्रश्न किया था, उत्तर मिला कि उसको हम चालू करने जा रहे हैं। मैं विजली मंत्री को इतिला देना चाहता हूँ कि वे उपकेन्द्र को शीघ्र चालू करावें उनका समधीऔरा भी पड़ता है, लेकिन क्यों नहीं चालू किया गया, पता नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में सड़क की हालत बहुत खराब है, सभी सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने की सरकार की नीति है लेकिन हमारे यहाँ की एक भी सड़क मुख्य सड़क से जोड़ी नहीं गयी है, जिससे सभी सड़कें बेकार पड़ी हैं। मैं ग्रामीण मंत्री से आग्रह करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं इसे रोजगार गारण्टी योजना से पूरा कराये। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला में 8 तारीख को जो घटना घटी जिसे आपने अखबार में देखा होगा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जेल में हमला कर कुछ बन्दियों को बाहर निकाल कर उसकी हत्या कर दी गयी। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बेगूसराय जिले में भी पश्चिम चम्पारण जैसा ब्लैक पैंथर स्कीम चला कर वहाँ के लोगों को शान्तिपूर्ण जीवन बिताने का मौका दें, वहाँ असामाजिक तत्व का खात्मा हो और लोग चैन की नींद सोवें। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बेगूसराय जिला में एक जयन्ती पुस्तकालय है वह बहुत ही उच्च कोटि का पुस्तकालय है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार उस पुस्तकालय के उत्थान के लिये पांच लाख रुपये का अनुदान दे ताकि बिहार के अच्छे पुस्तकालयों में उस पुस्तकालय की

गिनती हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर सिंह "धीरज" द्वारा प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में साफ है कि बिहार की जनता पिछले दो वर्षों में मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे के नेतृत्व में हर स्तर से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं, पिछले वर्ष 1984-85 में बिहार के बजट में जो राशि 75 करोड़ की थी, वह आज बढ़कर 1500 करोड़ रुपये की हो गयी है। हमारी आन्तरिक संसाधन की क्षमता जो वर्ष 1984-85 में 287 करोड़ रुपये की थी, वह आज बढ़ा 987 करोड़ रुपये की हो गयी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सप्तम् पंचवर्षीय योजना काल के तीसरे साल में इतना खर्च किया गया है जिसके कारण हमारी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को प्रस्ताव दिया है कि सप्तम् पंचवर्षीय योजना की जो राशि 5100 करोड़ रुपये की है, उसको बढ़ाया जाय। इससे बढ़कर प्रसन्नता की और क्या बात होगी, जहाँ अन्य राज्य पंचवर्षीय योजना की पूरी राशि खर्च नहीं कर पाते हैं, वहीं हमारी सरकार इस राशि को बढ़ाने की बात कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसके ममर्थन में बोल रहा हूँ। मैं दो-

तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण में यह परम्परा रही है कि...

अध्यक्ष : आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तक ही सीमित रहें।

श्री शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, पिछले दो सालों से देखने में आया है कि इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, यह बड़ी चिन्ताजनक बात है। वैसे हमारे प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिये हमारी सरकार कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे जी ने 234 मदरसों को रिकोगनाईज किया है, इन्होंने यह अच्छा काम किया है। अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में और भी फाइल शिक्षा विभाग में चल रही हैं मगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसके लिये हमें चिन्ता है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण जो भी तैयार करते हों, वे इस बात पर ध्यान दें और अगली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों की चर्चा आवश्यक रूप से होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मामले में बधाई देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। उर्दू में एक शेर है-उसका एक लाईन मैं कह देना चाहता हूँ। "रंग लाती है हिना, पत्थर पर घीस जाने के बाद।" हम आप सभी जानते हैं, 32 दिनों की हड़ताल राज्यकर्मियों की हुई, इस हड़ताल को खत्म करवाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी

ने बड़ी कुशलता से नेतृत्व किया। इसके कारण इनकी कुशलता और निखर गयी है और आज सारा बिहार इनकी निखरता से महक रहा है। बिहार राज्य के कर्मचारी पढ़े-लिखे हैं। जो कर्मचारी भोले-भाले, सीधे सादे हैं, उनको कुछ राजनीतिक दलों ने बहका कर हड़ताल करवा दिया। जो राजनीतिक दल कर्मचारियों के कन्धे पर बन्दूक रखकर हमारी सरकार की तरफ चला रहे थे, उस बन्दूक की नाल को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कुशलता से उन्हीं लोगों के तरफ कर दिया और बड़ी कुशलता से हड़ताल को समाप्त करवा दिया। आज इसका नतीजा यह है कि आज विपक्ष के लोग सदन से गायब हैं। अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि सदन में विपक्ष के लोग नहीं हैं। इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं--एक यह कि हड़ताल की वजह से उनकी राजनीति में जो स्याही लिपा गया है, उसको छिपाने के ख्याल से शायद वे लोग सदन में नहीं हैं। कर्पूरी जी विपक्ष के नेता हैं, वे लोक दल में हैं, उनके प्रति मेरा आदर बढ़ा है, उन्होंने राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इस हड़ताल को समाप्त करवाने में बीच बचाव किया। अभी कर्पूरी जी नहीं हैं, लोक दल के लोग नहीं आये हैं। मेरी जानकारी है कि लोकदल आन्तरिक कलह के कारण दो गुट में बंट गया है। यह उनका आन्तरिक मामला है। सुनने में आया है कि ''अजीत'' गुट और ''बहुगुणा'' गुट की वजह से उनके लीडर ऑफ दि ओपोजिशन पर खतरा है, इसीलिये कर्पूरी जी यहाँ नहीं आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, 32 दिनों तक हड़ताल चली। सरकार चाहती थी कि कर्मचारियों को कुछ दे लेकिन सरकार के लिये यह

संभव नहीं था कि वह केन्द्रीय वेतनमान अपने कर्मचारियों को दे। 19 जनवरी, 87 को हमारी सरकार ने घोषणा की थी वह 185 करोड़ कर्मचारियों को देने के लिये तैयार है लेकिन इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल के लिये वे लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कर्मचारियों को बहका कर हड़ताल करवाया। हमारी सरकार ने जिस ढंग से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस कार्य कुशलता से इस हड़ताल को समाप्त करवाया, उसके लिये बधाई के पात्र हैं। इसके बधाई के पात्र हमारी सरकार, दूबे जी की सरकार है।

अध्यक्ष महोदय, अब कुछ विकास की बात अपने क्षेत्र की करना चाहूँगा और मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा श्री बिन्देश्वरी दूबे जी और पथ निर्माण मंत्री, श्री हरिहर महतो जी को कि एक करोड़ 13 लाख रुपये की लागत पर बलहा घाट नदी पर पुल का शिलान्यास करने माननीय मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को जा रहे हैं। कैबिनेट ने पैसा भी दे दिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे क्षेत्र में अभी भी उस पुल के अभाव के कारण वहाँ के लोगों को 55 किलोमीटर की दूरी से चलकर हेडक्वाटर्स में आना-जामा पड़ता है। एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ एक पुल बन जाने से सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जायेगा। वहाँ आर० ई० ओ० की कोई सड़क नहीं है। मेरा कहना है कि वहाँ जल्द से जल्द जितनी मुख्य सड़कें हैं यानी प्रमंडल को अनुमंडल से जोड़ने की सड़क नहीं है उसको तुरत बनवाया जाय। इसके अलावे और अन्य सड़कें भी बनायी जाय। मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि फलां आतंकवादी क्षेत्र है.

इसलिये वहाँ सड़कें बनानी जरूरी है और सरकार ने कह दिया कि वहाँ सड़कें बनायी जायेगी। यह गलत बात है और इससे आप आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आतंकवाद नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ विकास का काम नहीं हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव होगा कि जो पिछड़ा जगह है, उसको चुना जाय और देखें कि कौन आगे बढ़ गया है और कौन पीछे रह गया है, इसकी समीक्षा करके वहाँ सड़कों और विकास का काम किया जाय। इस तरह से करने से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस तरह से करने से जहाँ खराब स्थिति हैं वहाँ के जनमानस पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। जहाँ नेक्सलाइट बेल्ट है वहाँ विकास का काम होगा तो सभी लोग बनना चाहेगा। इसमें सुधार होगा, ऐसी मेरी आशा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले विधान-सभा क्षेत्र में विस्फी प्रखंड में औंसी एक जगह है जहाँ स्वास्थ्य मंत्री से मैंने अनुरोध किया था कि वहाँ एक रेफरल हॉस्पीटल बनाने की आवश्यकता है। दरभंगा जाने के लिये औंसी होकर ही मार्ग है, जयनगर से भी जायें तो औंसी से होकर ही जाना पड़ेगा। वहाँ रेफरल हॉस्पीटल नहीं होने से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर दरभंगा हॉस्पीटल जाया जा सकता है। मरीज लेकर जब लोग जाते हैं तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में मरीज की खराब हालत को देखते हुए उसे रेफरल हॉस्पीटल में भेजा जा सकता है। इसलिये मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन होगा कि अतिशीघ्र विस्फी प्रखंड के औंसी में रेफरल हॉस्पीटल की स्थापना की जाय।

श्री सुरेश कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय सदस्य, श्री श्याम सुंदर सिंह "धीरज" ने सदन में प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आज जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री, श्री बिन्देश्वरी दूबेजी का हाथ है। इनके नेतृत्व में बिहार आज प्रगति के पथ पर है। हमारे युवा प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने जो नया 20-सूत्री कार्यक्रम दिया है उसके कार्यान्वयन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने विरोधी दल के लोगों को सम्मिलित किया है और उसमें उनको मेम्बर के रूप में रखा है। देहाती क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके विकास के लिये मुख्यमंत्री जी ने जिला विकास परिषद् का गठन किया है। इसमें सभी माननीय सदस्यों को मेम्बर बनाया गया है। परिषद् के तहत् देहाती क्षेत्र के विकास की बात होती है, उसमें वे लोग अपनी बातें रखते हैं और विकास का काम होता है। विगत् वर्ष में उसी के तहत् जिला विकास योजनाओं के लिये मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में 751 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जो इस बजट में उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। इन्होंने काफी विकास का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह चम्पारण जिला है। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह बात सही है कि चम्पारण जिला में विकास की नयी रोशनी आयी है विगत् कई वर्षों के बाद। स्वर्गीय केदार पाण्डे जी

बिहार के मुख्यमंत्री थे उसके बाद आज तक चम्पारण जिला को देखनेवाला कोई नहीं था, लेकिन जब श्री बिन्देश्वरी दूबे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चम्पारण की सुधि ली है। वहाँ के गरीब लोगों, कमजोर लोगों और अल्पसंख्यकों के काम को आगे बढ़ाया है। चम्पारण गांधी जी की कर्मभूमि है। चम्पारण जो भी लोग जाते हैं वे कहते हैं कि यह गांधी जी की कर्मभूमि है लेकिन केवल भाषण ही देते हैं, काम में विश्वास नहीं करते हैं। चम्पारण जिला के अन्तर्गत् हमारा सुगौली विधानसभा क्षेत्र है जहाँ अंग्रेजी हुकूमत के समय नेपाल से संधि हुई थी। हमारे सभी माननीय सदस्य जो यहाँ बैठे हैं वे सभी जानते हैं, हो सकता है जो इतिहास की जानकारी नहीं रखते हों, वे नहीं जानते हों, लेकिन आप जब जायेंगे उस स्थान पर तो आप देखेंगे कि उसका कोई महत्व नहीं है, उसको कोई देखनेवाला नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे जी ने उस क्षेत्र के विकास के लिये रोड दिया है। आप जानते हैं मोतिहारी से रक्सौल, जिसकी दूरी 52 किलोमीटर है, जो नेशनल हाईवे रोड है और जिससे प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक गुजरते हैं उस रोड की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे पथ राज्यमंत्री श्री विजय शंकर दूबे कुछ दिन पहले वहाँ गये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और उसके आधार पर कुछ काम भी हुआ, लेकिन वहाँ के सरकारी पदाधिकारी की लापरवाही के चलते काम नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र सुगौली और आपके माध्यम से माननीय पथ मंत्री श्री हरिहर महतो एवं माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मोतिहारी से रक्सौल जो बोर्डर है अपने राज्य का, अपने देश का, उनकी दूरी 52 कि० मी० है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री

राजीव गांधी ने संसद में घोषणा की थी कि जो बोर्डर एरिया है, उसके विकास के लिये हम काम करेंगे। बिहार सरकार को यह निर्देश भी दिया था और उसके तहत मुख्यमंत्री जी ने उस इलाके के विकास के लिये एक थाना का सृजन भी किया है क्योंकि बोर्डर एरिया में स्मगलिंग का काम होता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ थाना के सृजन से क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। अतएव, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि मोतिहारी, तुरकौलिया, सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल, अदापुर ये छः प्रखंडों को जोड़नेवाली लोक निर्माण विभाग का पथ जो चैताहा से सिसवनियां, जरवाधार, रघुनाथपुर, सोड़ामनसिया, रामगढ़वा तक जाती है, उसको अविलम्ब बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाय। रोड बन जाने से 38 कि० मी० की दूरी हो जायेगी, 13 कि० मी० की दूरी कम हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक दो बातें मैं और कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि चम्पारण कितना पिछड़ा हुआ जिला है। उसके पिछड़ापन को दूर करने के लिये वहाँ विकास के काम अधिक से अधिक किये जायें। सुगौली जो पश्चिम चम्पारण और पूर्वी चम्पारण का संयोगवश सेन्टर पड़ता है, वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो उसे बेतिया या मोतिहारी जाना पड़ता है। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पर एक रेफरल अस्पताल बनवाया जाय। वहाँ एक छः बेड का अस्पताल है, लेकिन रेफरल अस्पताल बन जाने से अभी जिन छः प्रखंडों की चर्चा मैं कर चुका हूँ, वहाँ के लोग इसमें आकर इलाज करा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक

स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ श्रीपुर में विगत् दो तीन वर्षों से जलापूर्ति योजना लम्बित है। वहाँ पाइप लाइन बिछाना था, लेकिन अभी तक यह योजना खटाई में पड़ी हुई है। मैंने विभागीय मंत्री को भी इसके बारे में लिखकर दिया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसको पूरा किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो शब्द और कहना चाहता हूँ कि मोतिहारी जिला मुख्यालय है, वहाँ के विकास के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपये की व्यवस्था की और मोती झील के सौन्दर्यीकरण के लिये यह राशि दी गयी, लेकिन वह काम अभी तक नहीं हो पाया है। पता नहीं यह किस स्तर पर लम्बित है। उसको शीघ्र कराया जाय।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री रामाश्रय बाबू जब मोतिहारी गये थे तो उन्होंने उस जिले की सिंचाई के लिये 1 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी। यह बहुत ही खुशी की बात है। सरकार की तरफ से तो काम हुआ, लेकिन रक्सौल प्रमंडल में उस रुपये की लूट हो रही है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि रक्सौल में जो रुपये की लूट हो रही है, उसको रोका जाय। अभी नहर में पानी नहीं गया है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है–अतएव सरकार का ध्यान इस ओर शीघ्र जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव पेश है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री शकीलुजमा : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय

के अभिभाषण पर जो धन्यवाद ज्ञापन का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की नीतियों का जो उल्लेख किया गया है, उससे निश्चित रूप से राज्य की प्रगति होगी, गरीबी दूर करने में अच्छा रौल अदा करेगी। मैं मानीनय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बिहार के अराजपत्रित एवं शिक्षकों की जो हड़ताल हुयी थी और जिस मुस्तैदी से उसको समाप्त किया, वह राज्य की प्रगति के लिये बहुत ही अहम् भूमिका कही जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र बिहारशरीफ की चन्द समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहारशरीफ निर्वाचन क्षेत्र नालन्दा जिला का हेड क्वार्टर है। यह कुछ ही दिन पूर्व जिला बना है, लेकिन जिला बनने के बाद जो सुविधाएं शहर को मिलनी चाहिये थी, वह उपलब्ध नहीं हो पायी है। इस शहर में पीने की पानी की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया था। 15 साल पूर्व जो पानी के टंकी बने हुए थे उसमें से आठ टंकी फेल कर गया है। उसके अलावे पानी का पाईप लाईन बहुत जगहों पर टूट गया है जिसके कारण पाईप से गंदा पानी आता है। लोगों को काफी असुविधा इसके चलते हो रही है। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि 15 साल पूर्व जो टंकी बना था उस समय की आबादी के अनुसार बना था, लेकिन अब आबादी उससे काफी अधिक हो गयी है और उसमें भी आठ टंकी फेल कर गया है तो आप सहज अन्दाज लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों को पीने की पानी की कितनी

भयंकर समस्या है। गर्मी आने ही वाला है। इसलिये वहाँ के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। पी० एच० ई० डी० में जो 35 लाख और 65 लाख रुपये की दो योजनाएं बनायी गयी हैं उसके लिये फण्ड का आवंटन किया जाय ताकि इस वर्ष में योजनाएं पूरी की जा सके। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि बिहारशरीफ में जिला मुख्यालय होने के बावजूद सड़कों की हालत बहुत खराब है। हमारे यहाँ पी० डब्ल्यू० डी० की कुल 42 किलोमीटर सड़क है। 1986-87 के बजट योजना में केवल दो किलोमीटर की ही मरम्मत की गयी और बाकी की जो सड़क है वह बनने योग्य नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 42 किलोमीटर जो सड़क हमारे यहाँ है उसकी मरम्मत की जाय।

इसके साथ ही म्युनिसपैलिटी द्वारा संचालित जो सड़कें हैं उनके लिये पिछले साल म्युनिसपैलिटी को बहुत कम आवंटन किया गया जिसके कारण इन सड़कों की मरम्मत का भी कार्य नहीं हो सका है। बिहारशरीफ के जिला मुख्यालय होने के साथ ही आबादी बढ़ती चली जा रही है परन्तु सड़कों की कमी बनी हुई है। सड़कें टूटी-फूटी हुई हैं और कई सड़कें तो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी हैं। सफाई की स्थिति भी बहुत खराब है। चारों तरफ कूड़ा-कर्कट भरा पड़ा है। इसलिये मैं चाहूँगा कि म्युनिसपैलिटी को अधिक फण्ड आवंटित किया जाय ताकि गलियों, सड़कों, नालियों आदि का निर्माण एवं उसकी सफाई अच्छी तरह से की जा सके।

सरकार को एक और व्यवस्था करनी चाहिए। जो सड़क बनती है वह जल्दी ही टूट जाती है। इस तरह सरकार को ध्यान देना

चाहिये। सरकार को पूरे शहर के लिये एक मास्टर-प्लान बनाना चाहिये। सड़कों के किनारे ड्रेनेज की व्यवस्था रखनी चाहिये ताकि जो भी गन्दगी रहती है, गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, वह निकल जाय। इससे सड़कें बनी रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, पिछले साल बाढ़ आयी थी। बाढ़ आने के कारण बिहारशरीफ में पानी आ गया था जिसके कारण कई स्थानों पर टूट-फूट हो गयी थी। मैं निवेदन करूँगा कि वैसी जगहों की मरम्मत बाढ़ग्रस्त राहत फण्ड से शीघ्र की जाय।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बिहारशरीफ में कोई सर्किट हाउस नहीं है। एक पी० डब्लू० डी० के आई० बी० को सर्किट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं निवेदन करूँगा कि उसको पूर्ण रूप से सकर्टि हाउस का दर्जा दे दिया जाय।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, हमारे बिहारशरीफ में कोई स्टेडियम अभी नहीं बना पाया है जबकि सरकार की घोषित नीति है कि हर जिला मुख्यालय में एक स्टेडियम का निर्माण होगा। मैं मांग करता हूँ कि स्टेडियम का निर्माण शीघ्र करवाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बीड़ी मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की ओंर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है परन्तु इन बीड़ी मजदूरों को आज भी वह नहीं दी जा रही है। इसलिये मैं आग्रह करूँगा कि इनको न्यूनतम मजदूरी दिलवाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करे।

अध्यक्ष महोदय, मानपुर छिलका परियोजना को 1979 में हाथ में लिया गया था परन्तु उस पर आज भी कोई कार्य नहीं हो रहा है।

इसके बन जाने से किसानों को पानी की बड़ी सुविधा हो जायेगी।

अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शकीलुजमा : बाढ़ आने के कारण जो तटबन्ध टूट गये थे उसके लिये छः महीने पूर्व में ही आदेश हो चुका था कि उस बाँध को बना दिया जाय लेकिन अभी तक वह नहीं बन पाया है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसको शीघ्र बनवाने की कृपा करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर दूबे।

श्री चन्द्रशेखर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे जी के नेतृत्व में विश्वास रखता हूँ। दो साल के अन्दर बहुत विकास हुआ है। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपना पिछड़ा जिला पलामू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। पलामू जिला 25 प्रखंडों का बहुत बड़ा जिला है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री पलामू जिला के दौरा पर गये थें, तो उन्होंने गढ़वा अनुमंडल को जिला बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी गढ़वा अनुमंडल को जिला बनाने की घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने जिला के एक गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पलामू जिला में मात्र तीन उद्योग चल रहे हैं जिसमें सबसे पुराना उद्योग जपला सीमेंट फैक्ट्री है जो वर्षों से बंद है। हजारों मजदूर भूखे मर रहे हैं। इसके लिए

मजदूरों में हाहाकार मचा हुआ है और रोष है। मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके सरकार इसे "टेक-ओभर" करके "स्टार्ट" करे ताकि मजदूरों को राहत मिल सके। भवनाथपुर का कारखाना जो 30 वर्षों से चल रहा था अब उसके प्रबंधन ने नोटिस दिया है कि 31 मार्च, 1987 के बाद वहाँ का काम बंद कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वहाँ तीन हजार मजदूर काम कर रहे थे जो बेकार हो जायेंगे। तीन हजार मजदूरों के परिवार को लगाकर करीब 30 हजार हो जाते हैं उसका क्या होगा? वे लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे। भवनाथपुर के फैक्ट्री बंद होने से मजदूरों में असंतोष होगा और वे लोग नक्सलाईट हो जायेंगे, जो चोरी, डकैती और हत्या करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह बतलाना चाहता हूँ कि इस पर अविलम्ब कार्रवाई की जाए जिससे भवनाथपुर के फैक्ट्री का काम चलता रहे और वह बंद नहीं हो। हमारे क्षेत्र के रेहला में बिरला जी का एक प्लास्टिक कारखाना है, उससे प्रदूषण हो रहा है। उस क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। 20 लोग हॉस्पीटलाइज्ड हो गए हैं। उनके गाँव का पानी खराब हो गया है। वहाँ बीमारी फैल रही है। वहाँ के लोगों में काफी भय व्याप्त है। वहाँ भोपाल कांड जैसी स्थिति हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, ये तीनों संस्थाएं, जो हमारे जिला पलामू में चल रहे हैं, के बारे में अविलम्ब कार्रवाई नहीं की जायेगी तो पलामू जिला उद्योग विहीन हो जायेगा और पलामू भूखमरी का शिकार हो जायेगा। वहाँ भूखमरी से मरनेवाले मजदूरों का नक्सलाईट हो जाने का खतरा है। वे चोरी, डकैती और हत्या करेंगे। क्राइम बढ़ जायेगा। यह एक गंभीर विषय है। इस पर अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र सिंचाई के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं विश्रामपुर क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ एक भी सिंचाई स्कीम नहीं चल रहा है। विश्रामपुर में दो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गयी है जो योजना विभाग में लम्बित पड़ा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर ये दो स्कीम बन जाते हैं तो वहाँ की किसानों को राहत मिल सकता है। मैं चाहूँगा कि इस पर अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र के विद्युत के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे इलाके में विद्युत का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि 6 महीने में विद्युत् चली जायेगी। महीने बीत गए। हजारों-हजार किसानों से, बिजली देने के लिए, एग्रीमेंट किया गया था। लाखों रुपये विद्युत् विभाग को दिया गया। लेकिन अभी तक एक भी खंभा नहीं गाड़ा गया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र के शिक्षा के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। शिक्षा के मामले में हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। जितने भी स्कूल चल रहे हैं, उनमें किसी का भवन है तो स्कूल टीचर नहीं हैं और किसी स्कूल में टीचर है तो भवन टूटा हुआ है। पेड़ के नीचे लड़के पढ़ रहे हैं। शिक्षक के अभाव के कारण स्कूल नहीं चल पा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि जो स्कूल भवन टूटा हुआ है, उसकी मरम्मती कराई जाये। साथ ही महिला उच्च विद्यालय, संस्कृत उच्च विद्यालय और मदरसा विद्यालय, जो प्राईवेट में चल रहा है, सरकारी नियम के अनुसार हर प्रखंड में होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पलामू जिले के जितने भी मदरसा हैं, संस्कृत विद्यालय

हैं, जितने भी हाई स्कूल चल रहे हैं इनका सरकारीकरण कर लिया जाय। इसके बाद मैं सड़कों की ओर आता हूँ। मझिआंव और विश्रामपुर प्रखंड में मुख्यालय को छोड़कर एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है, विधायक कोटे का सड़क भी नहीं बन पाया है इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि मझिआंव से कांडी तक तथा विश्रामपुर से मदसैनी तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय। हम अपने कर्मठ नेता, श्री बिन्देश्वरी दूबे जी पर विश्वास करते हैं, उनके कार्यकलाप की सराहना करते हैं उन पर हमलोगों को और हमारे क्षेत्र की जनता को भरोसा है इसलिए आशा है कि वे हमारी कही हुई बातों पर ध्यान देंगे और इन कार्यों को पूरा करा देंगे।

अध्यक्ष : (डा० जगन्नाथ मिश्र से), आप अपना भाषण 15 मिनट में समाप्त करेंगे। यों समय की सीमा वही है।

डा० जगन्नाथ मिश्र : श्री सदानन्द सिंह जी को आपने ज्यादा समय दिया।

अध्यक्ष : वे विरोधी पक्ष से बोल रहे थे, उनकी संख्या कम है इसलिए उनको ज्यादा समय दिया। आप अपना भाषण 15 मिनट में समाप्त करें।

डा० जगन्नाथ मिश्र : पिछले बार भी आपने हमारा समय काट दिया। आपकी मर्जी से समय कट गया।

अध्यक्ष : मेरी लाचारी है।

डा० जगन्नाथ मिश्र : इसके प्रोटेस्ट में मैं भाषण नहीं करूँगा। आपको इसके लिए मुबारकबाद हो, मुबारकबाद हो।

श्री सगीर अहमद : अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय

के अभिभाषण पर धीरज जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। धीरज का माने होता है "सब्र" और अल्लाह और भगवान सब्र करने वालों के साथ है इसलिए मैं भी धीरज के साथ हूँ। आप जानते हैं कि देश की आजादी के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में देश में स्थिरता आयी, उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में देश में स्थिरता आयी और उन्होंने देश में 20-सूत्री कार्यक्रम की समां जलायी। उनकी समां पर उनके सिपहसलारों ने राष्ट्र को और प्रदेश को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। इसके अन्तर्गत् सर्वप्रथम बिहार में मुख्यमंत्री होकर 1972 में श्री केदार पांडेय जी आए, इन्होंने शिक्षा जगत में एक तवारिख पैदा की जिसको लोग आज भी याद करते हैं, आज भी लोग उसे भूले नहीं हैं। उसके बाद गफूर साहब आए, फिर श्री चन्द्रशेखर सिंह जी आए, उसके पहले डा० जगन्नाथ मिश्र जी आए मात्र बीच में यानी 1977 में बिहार में जब मैं इस विधान-सभा में मौजूद था उस वक्त जनता पार्टी की सरकार बनी। भिन्न-भिन्न पार्टियों को मिलाकर एक सरकार बनी थी, वे एक बने थे, नेक बने थे लेकिन ऊंची से ऊंची कुर्सी हासिल करने के फेर में वे बिखर गए। उस वक्त मैं विरोधी बेन्च पर था। हमलोगों ने बड़े धैर्य से नीतिगत मामलों में, प्रदेश की तरक्की के मामले में उनका समर्थन किया, उनका सहयोग दिया, उनको वैशाखी दी ताकि प्रांत के गरीबों, मजदूरों, पिछड़े, शोषितों आदि की सेवा वे कर सकें और उनकी समस्याओं को दूर कर सकें लेकिन दुःख की बात है कि वे कुछ कर नहीं सके। आगे चल कर प्रदेश की सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में पुनः आयी, पुनः श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ में जनता ने सत्ता सौंप

दी और तब से जिन्दगी के आखिरी दिन तक, अपना खून बहाकर भी देश की एकता और अखंडता के लिए सचेष्ट रहीं और यहाँ तक कि अपनी जान की भी कुर्बानी दी। उनके बाद युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने प्रगति का मशाल जलाया जिसे उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे के हाथों में दिया और दूबे जी ने उन कामों को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। हमलोग उनके साथ कन्धा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कामयाबी के दो साल आज पूरे हुए। इस मौके पर मैं उनको तथा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके कारनामों के लिए बधाई देता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वे जनहित की दृष्टि से प्रांत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ावें ताकि हमलोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हमारा प्रदेश समस्याओं से घिरा हैं, सभी जानते हैं कि काम करने के बीच-बीच में अनेक समस्याएं आती हैं। हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ भ्रष्टाचार है और इसको लांघ कर हमें आगे आना है। यह उस वक्त तक संभव नहीं होगा जब तक ईमानदारी के साथ, भेदभाव भूलकर कन्धे से कन्धे मिलाकर इस भ्रष्टाचार को दूर करने में कामयाबी हासिल नहीं करते। जब तक हम भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकेंगे हमारा सपना साकार नहीं हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के चलते मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने और सुनने के बाद स्थिति स्पष्ट है कि पिछले दो वर्षों में क्या कुछ हुआ है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने विस्तार पूर्वक अपने विचारों को सदन में रखा है। दूसरे माननीय सदस्य भी

अपनी बातों को रखेंगे। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है। निश्चित रूप से यह बात जेहन में आयी है, आना भी चाहिये। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अल्प संख्यकों के हित में जो फैसले अभी तक किये जा चुके हैं शायद राज्यपाल ने महसूस नहीं किया कि कुछ और बातें कही जाय। मैं इस सम्बन्ध में महसूस यह भी करता हूँ कि जो भी निर्णय अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में अभी तक लिये गये हैं उनके हित में लिये गये हैं मात्र उनको ही कार्यान्वित करा दिया जाय तो अल्पसंख्यकों के लिए यह बहुत अधिक है। आप जानते हैं कि इस प्रांत के अंदर पिछले दो वर्षों में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। मैं फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि इस मामले में हम बिहारी बहुत ऊंचे हैं हमारे दिल और दिमाग सिकुड़े हुये नहीं हैं। हम सबके लिये खुशकिस्मती की बात है कि हमारे विचार इतने सिकुड़े हुये, जकड़े हुये नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मदरसा को सरकार ने लिया है। उसके जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उनकी तनख्वाह जल्द से जल्द दिलाया जाय। अल्पसंख्यकों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें जीवन के मुख्य धारा से जोड़ने के लिये अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना की गयी। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अल्पसंख्यक वित्त निगम को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से पर्याप्त वित्त देने की जरूरत है और अधिक से अधिक राशि दी जाय जिससे सरकार का जो सपना है वह साकार हो सके। अब मैं

आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि बिहार में उर्दू को दूसरी जुबान का दर्जा दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जव हमारा एक ही विधानसभा है, एक ही मुल्क है, एक ही संविधान है, राज्य का एक ही मुख्यमंत्री है तो सरटेन जिलों में उर्दू को दूसरी जुबान बना कर क्यों रखा गया है? सभी जिलों में इसको लागू करना चाहिये।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। लंबी सूची है और भी अन्य माननीय सदस्य अपनी बातों को रखना चाहेंगे।

श्री सगीर अहमद : अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में जो बातें आपके माध्यम से मैंने सदन में रखी है वह महत्वपूर्ण है। हमारे क्षेत्र की भी कुछ समस्यायें हैं जो महत्व रखती हैं। नौर्थ बिहार खेती के बारे में कितना महत्व रखता है यह सभी जानते हैं। वहाँ की कितनी अच्छी उपजाऊ जमीन है आप सभी जानते हैं। लेकिन बाढ़ का प्रकोप प्रतिवर्ष आता है। वहाँ यदि ड्रेनिज का इंतजाम किया जाय, नहरों का जाल बिछा दिया जाय तो मैं कह सकता हूँ कि नौर्थ बिहार, बिहार के लिये ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बहुत हिस्सों के लिए खाद्यान्न के मामले में उपयोगी हो सकता है। उनकी मांग को पूरा कर सकता है। फुलफिल कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, बोढ़ का प्रकोप आखिर कहाँ से शुरू होता है? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे रक्सौल से शुरू होता है और रक्सौल हमारा निर्वाचन क्षेत्र भी है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि रक्सौल में बाढ़ आयी। बाढ़ आने की क्या वजह है। इसका वजह है कि एक नदी है मसान। वह भयंकर है। मं[illegible]न डैम बनाने की बात जमाने से चल रही है। डैम बन जाने से 40

प्रतिशत पानी जो मसान नदी से सिकरहना में आता है वह पानी छोटी-छोटी नदियों से होकर सिकरहना नदी में गिरेगी। यदि मसान डैम बन जायेगा तो 40 प्रतिशत पानी जो सिकरहना नदी में गिरता है वह नहीं होगा तथा इस तरह लोग बाढ़ का शिकार नहीं होंगे। अंग्रेजों के जमाने में यह बाँध सिकरहना नदी के क़रीब बाँधा गया। पिछले वर्ष कुछ काम हुआ था, लेकिन काम अधूरा रह गया है उसको पूरा कराया जाय। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि रक्सौल एक इंटरनेशनल प्लेस है वह नेपाल की सीमा पर है, भारत का प्रवेश द्वार है उसकी हालत दयनीय है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह रक्सौल पर विशेष ध्यान दे।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी।

श्री विजय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कल बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : कल समय की किल्लत होगी। एक घंटा का वाद-विवाद है और सरकार का उत्तर है इसलिये कल समय नहीं मिल सकेगा। समय की गारंटी नहीं रह जायेगी। इसलिये मैं सोचता हूँ कि आप बोलें।

श्री विजय कुमर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज मैं नहीं बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : ठीक है लेकिन समय की कोई गारंटी नहीं होगी।

श्री दिलकेश्वर राम : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं

समर्थन करता हूँ। एक बात के लिये मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिहार के लिये जिस मुख्य सचिव का चुनाव किया है वह बिहार के हित में है। मैं समझता हूँ कि नये मुख्य सचिव जात-पात से ऊपर होकर, निष्पक्ष होकर बिहार की जनता की सेवा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आरक्षण के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का यह फैसला हुआ था कि प्रोन्नति भी एक नियुक्ति मानी जायेगी और इस आधार पर 14.4.81 और 16.4.81 को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि जितनी भी प्रोन्नतियाँ होंगी उसमें हरिजन, आदिवासी पदाधिकारियों को आरक्षण दिया जायेगा। इस आधार पर यह आरक्षण हुआ है। जैसे उप समाहर्त्ता का जूनियर सेलेक्शन ग्रेड तथा सिनियर सेलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति होती रही उसी तरह से सुपर टाईम में तीन तरह का जो ग्रेड है, श्रेणी है, उसमें भी प्रोन्नति होती रही। सुपर टाईम का तीन स्केल है। 1900 रु० से 2500 रु०, 2400 रु० से 3000 रु० और 2600 रु० से 3200 रु०। सभी श्रेणी में प्रोन्नति होती रही लेकिन 26.3.85 को जब विधान-सभा चुनाव की अंतिम गिनती चल रही थी और उस दिन स्व० चन्द्रशेखर सिंह के मंत्रिमंडल के सदस्य जो चुनाव में व्यस्त थे, के मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होने के बावजूद तत्कालीन मुख्य सचिव की गहरी साजिश से और तत्कालीन ग्रामीण आयुक्त की साजिश से इस आरक्षण पर रोक लगा दिया गया। आरक्षण को खत्म कर दिया गया। 6.3.85 की बैठक में निर्णय लिया गया कि इसमें

कालावधि नहीं रहेगा और प्रोन्नति पर जो विचार होगा वह डिप्टी कलेक्टर के स्तर से होगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हरिजन आदिवासी आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति पाकर 1900 से 2500, 2400 से 3000 और 2600 से 3200 में प्रोन्नति होते, वे वंचित रह जायेंगे। मंत्रिमंडल का निर्णय यह भी है कि उसको लोक सेवा आयोग में भेजने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कालावधि नहीं होगी। यह जानबूझकर हरिजन आदिवासियों पर कुठाराघात हुआ है, यह तत्कालीन मुख्य सचिव की साजिश से हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जब दूबे जी हुए तो हम सभी हरिजन विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखकर दिया था कि इसको खत्म किया जाय। मुख्यमंत्री ने कार्मिक कमिश्नर को आदेश दिया कि इसकी जांच कर संचिका उपस्थापित किया जाय। देहाती कहावत है अध्यक्ष महोदय, कि "बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह"। दो वर्ष से संचिका लेकर कार्मिक के कमिश्नर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद वे संचिका लेकर बैठे हुए हैं और संचिका मुख्यमंत्री के पास उपस्थापित नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बिहार के हरिजन, आदिवासी को पदाधिकारी के विरुद्ध आन्दोलन करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार के न्यायिक सेवा में हरिजन, आदिवासियों के आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। वहाँ नियुक्ति में आरक्षण है लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण नहीं है। वहाँ किस आधार पर प्रोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है यह बात समझ में

नहीं आती है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाय। आपको आश्चर्य होगा कि 30.9.85 तक 2 लाख 67 हजार लोग बिहार के विभिन्न नियोजनालयों के माध्यम से थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नियुक्त हुए लेकिन हरिजन की बहाली उसमें मात्र 236 की हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि सहायक अभियंता, असैनिक का विज्ञापन 15 जुलाई, 1986 को हुआ। अब विभाग इसको डि-रिजर्व करके हरिजन और आदिवासी के लिये जो सीट है दूसरे लोगों से भरने जा रही है। महोदय, विज्ञापन एक साल पहले निकला है, उसके बाद 100 लड़के पास कर गये हैं। अगले तीन महीना में 165 लड़के पास कर गये और 1987 के दिसम्बर में 100 लड़के पास करेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि इसको डि-रिजर्व नहीं किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि बी० आई० टी० मेसरा और दूसरे जो इन्स्टीच्यूशन है उसमें पूरा का पूरा हरिजनों के लिये आरक्षण मिला है। लेकिन पटना ईन्जीनियरिंग में पूरा का पूरा आरक्षण नहीं देते हैं। जितना नामांकन होगा उसका 20 प्रतिशत लेते हैं क्योंकि नामांकन पर रोक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने से हरिजन और आदिवासी कंडीडेट मिलना संभव नहीं है। इस पर रोक नहीं रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो पदस्थापना का काम होता है, कलक्टर, एस० पी० और दूसरे-दूसरे 'की-पोस्ट' पर उसमें हरिजन और आदिवासी को तिरस्कृत किया जाता है। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में अधिकांशतः हरिजन और आदिवासी

पदाधिकारी मिलेंगे। रिक्शा चलाने वालों में मिलेंगे। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पोस्टिंग में बैलेंश रखिये। हरिजन और आदिवासी को कलक्टर वनाइए जो बदनाम है उसको मत बनाइए। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पोस्टिंग में बैलेंश कीजिये। आदिवासी, हरिजन और दूसरे लोगों को भी कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से औरंगाबाद के बारे में बताना चाहता हूँ। एक अल्पसंख्यक मुसलमान जाति के डी० एस० पी० को चार महीना में हटा दिया गया। हरिजन का पोस्टिंग हुआ, उसको तीन महीना में हटा दिया गया। एडीशनल एस० पी० को हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि श्रीबाबू और अनुग्रह बाबू के समय प्रावधान था कि डोमीनेटेड एरिया में उस जाति के पदाधिकारी को पदस्थापित नहीं किया जायेगा। लेकिन आज यह कार्य धड़ल्ले से हो रहा है। जहाँ जोर-जुल्म अन्याय अत्याचार जिस जाति में होता है उसी जाति के अधिकारी पदस्थापित किये जाते हैं। यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। औरंगाबाद जिले में 11 प्रखंड और थाने हैं और इसके अलावे भी चार-पांच थाने हैं, लेकिन वहाँ आपको एक भी हरिजन जाति का थाना प्रभारी नहीं मिलेगा। आपको काम को सोच समझकर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट का समय और लूंगा। अब मैं स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिहार में हरिजनों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख 47 हजार है। बिहार में 116 प्रखंड ऐसे हैं जहाँ हरिजनों की

संख्या 30 प्रतिशत से भी ज्यादा है और 1981 की जनगणना के अनुसार हरिजनों की जनसंख्या बिहार में 14.51 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा 6 महीने पहले श्री अर्जुन सिंह स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने आए थे। यहाँ के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं, से अर्जुन सिंह ने जानना चाहा कि बिहार में स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम की क्या स्थिति है। इस पर चीफ सेक्रेटरी के० के० श्रीवास्तव ने कहा कि सर हमलोगों को जितना खर्च करना था उससे अधिक खर्च कर दिया है। इससे सफेद झूठ और क्या हो सकता है। इस तरह जो ऊँचे पद पर आरूढ़ पदाधिकारी हैं और जो ऊंचे स्तर के लोगों को, चीफ मिनिस्टर को, मंत्री को या हमारे नेताओं को पथभ्रमित करते हैं, मीस लीड करते हैं उससे बढ़कर पापी और निकृष्ट दूसरा कोई पदाधिकारी नहीं हो सकता है। एक दो मिनट में अब मैं समाप्त करना चाहता हूँ। छट्ठी पंचवर्षीय योजना में स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के तहत 272.04 करोड़ रुपये खर्च करना था लेकिन खर्च हुआ 239.43 करोड़ रुपये। इस प्रकार 2 करोड़ 62 लाख रुपये शेष रह गया, खर्च नहीं हुआ। उसी तरीके से अध्यक्ष महोदय गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात है। छट्ठी पंचवर्षीय योजना में 10 लाख 48 हजार लोगों को ऊपर उठाना था लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर 10 लाख 16 हजार लोगों को ही ऊपर उठाया गया। इसमें भी करीब-करीब 32 हजार लोग रह गए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इन सब बातों पर सरकार ध्यान दें और काफी तेजी के साथ स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम चलाए। स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के लिए तीन स्तर पर कमिटी है। यह प्रान्तीय स्तर

पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर है लेकिन किसी की भी वैठक नहीं हुआ करती है। इसकी कोई मौनिटरिंग नहीं होती है, समीक्षा नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री ईश्वरी राम पासवान : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है और जिस पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे नौजवान प्रधानमंत्री जी ने जो नया 20-सूत्री कार्यक्रम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे के हाथ में सौंपा है और उन्होंने जो गाँव-गाँव में इसका प्रसार किया है और जो काम किया इसके लिये वे सराहना के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दो साल के श्री बिन्देश्वरी दूबे के मुख्यमंत्रीत्व काल में जो उपलब्धियां हुई हैं उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई है कि एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। यह बिन्देश्वरी दूबे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर कुछ लोग हरिजन और आदिवासी की बात करते हैं लेकिन मैं जिस क्षेत्र से जीत कर आया हूँ वहाँ आदिवासियों की बहुत ज्यादा संख्या है। मैं वन क्षेत्र से जीत कर आता हूँ जहाँ आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे क्षेत्र में रहने वाले हरिजन आदिवासी, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे ने बहुत बड़ा उपकार का काम किया है। वहाँ के लोग खानाबदोशों की तरह घूमा करते थे, उनके लिए श्री बिन्देश्वरी दूबे ने उनको स्थायी रूप से बसाने के लिए, उनको नयी जिन्दगी देने के लिए आवास बनाकर

रहने की सुविधा दी है। उसी तरह से पहाड़िया जाति के लोग जंगलों में घूमा करते थे और जंगलों में शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे; उन पहाड़ियों के लिए हमारी बिन्देश्वरी दूबे की सरकार ने उन्हें नयी जिन्दगी देने के लिए, नयी रोशनी देने के लिए स्थायी रूप से उन्हें बसाया है और उन्हें इंसानों की जिन्दगी जीने के लिए अधिकार दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हरिज़न, आदिवासी और गरीबों के लिए अगर कोई मसीहा हैं तो वह बिन्देश्वरी दूबे हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र इन लोगों के लिए लगा दी। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन हजारीबाग से ही शुरू किया है। ये यहाँ पर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए आदिवासियों के लिए विकास के लिए बैठे हुए हैं। सच्चाई है कि जो छोटी झोपड़ियों में सिमट कर बैठे हुये हैं उनकी भलाई के लिये अपना सारा जीवन दूबे जी होम कर दिये हैं, दान कर दिये हैं। यह छिपाने की बात नहीं है। जिस तरह हमारी सरकार गरीबों के लिये, आदिवासी-हरिजनों के लिये कार्यक्रम चला रही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जिन आदिवासियों के पास हरिजनों के पास थोड़ी सी जमीन है। जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं उसको सिंचित करने के लिये हमारी सरकार ने सोचा है कि बड़े व्यास के कुएँ खोदवाकर सिंचाई करायी जाय। ऐसी सिंचाई व्यवस्था हमारी सरकार कर भी रही है ताकि हरिजन आदिवासी नई रोशनी पाकर गरीबी रेखा से ऊपर आवें।

आप जानते हैं कि रेसिडेंसियल स्कूल के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति 150 रु० जो मिलता था उसको दूबे जी की सरकार ने बढ़ाकर 175 रुपया कर दिया है ताकि हरिजन आदिवासी छात्र-

छात्राओं को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, अभी तक आदिवासी हरिजन लड़कों के लिये 107 रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं जिसमें सिर्फ 90 स्कूल में होस्टल हैं, बाकी में नहीं है। इस तरह हमारी सरकार हरिजन आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई का हर काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से रांची जिला के उस क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जहाँ के आदिवासी हरिजन, निरीह, गरीब थे जो वन पदार्थों को चुनकर बाजार में बेचकर अपना काम चलाते थे और उनके पास और कोई रोजगार का साधन नहीं था जिसके चलते महाजनों के चंगुल में फंस जाते थे और महाजन उनका शोषण करते थे। वैसे निरीह, गरीब लोगों के बारे में जब हमारी सरकार ने सोचा और देखा तब निर्णय किया कि सारे वन पदार्थ उन आदिवासियों को दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

श्री रामचन्द्र मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ ईधर-उधर की बात नहीं करूँगा। आप जानते हैं कि मैं जिस जिले से आया हूँ, वह नदियों का जिला है, जहाँ कुछ समस्यायें हैं। मैं खास कर अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूँ, गंगा के कटाव से वह क्षेत्र परेशान है। 10 हजार लोग गोगरी नारायणपुर बाँध पर हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से, पुनर्वास मंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो समस्यायें हैं हमारे क्षेत्र में पुनर्वास की उसको

सुलझाया जाय। गोगरी नारायणपुर बाँध पर जो रह रहे हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये उनके लिये जमीन मैं अधिग्रहण करवाता हूँ। खासकर आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि गरीब तबके के लोगों के लिये जो जमीन ली जाती है वहाँ हमारे अधिकारी, कलक्टर, जमीन वाले से मिलकर उन गरीबों को परेशान करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अगर इस तरह की बात होती रही तो पुनर्वास का काम बहुत अधिक तेजी से नहीं चलाया जा सकता है। तीन हजार आबादी वाला ये गाँव हमारे क्षेत्र में रूपौली है जो कई वर्षों से कट चुका है और आज से दो वर्ष पहले इस गाँव के पुनर्वास के लिये जमीन अधिग्रहण कर ली गयी, लेकिन दो वर्ष हो गये उन लोगों को वहाँ अभी तक बसाया नहीं गया। वे परेशान हैं। वे लोग लैंडलेस हैं। 20-सूत्री है उसमें भी बसाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जमीन वाले अड़चन डाल देते हैं। उनके पास अधिक जमीन है। जमीन वाले पैसा वाले हैं। उनकी बातें अधिक सुनी जाती हैं, क्योंकि जमीन वाले पैसा वाले हैं और वे पैरवी करके कुछ ऐसा करा लेते हैं कि उसमें गरीब नहीं बस सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द रूपौली गाँव को, जिसकी तीन हजार आबादी है, जहाँ गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़ी जाती के हैं, उन लोगों को बसाया जाये। एक दो निवेदन मैं जिला के सम्बन्ध में करना चाहता हूँ। मधेपुरा और खगड़िया एक साथ जिला बना, मधेपुरा में जिला सेशन जज की नियुक्ति हो गयी, लेकिन खगड़िया में अब तक नहीं हो सकी है। आप जानते हैं कि खगड़िया जिला नदियों

का जिला है और गंगा के इस पार से उस पार जाने में गरीब लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मधेपुरा में नियुक्ति हो गयी है। दोनों जिला एक साथ बना है, लेकिन खगड़िया में अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। मैं मुख्यमंत्री और विधि मंत्री से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द खगड़िया में डिस्ट्रीक्ट जज की नियुक्ति की जाय ताकि वहाँ के गरीब लोगों को राहत मिल सके। हमारा जिला बहुत पिछड़ा है। सरकार की ओर से, राज्यपाल के अभिभाषण में भी सात जिलों में ग्रोथ सेंटर विशेषकर उद्योग-विहीन जिलों में खोलने की बात की गयी है। हमारे यहाँ अब तक जमीनें भी नहीं एक्वायर की गयी है, तो ग्रोथ सेंटर कब खुलेगा? दूसरी ओर मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री से कहना चाहता हूँ कि अभी कहा गया है कि चुपका और भूटान से बिजली ली जा रही है, लेकिन हमारे जिला में नहीं मिल रहा है। सहरसा को दिया जा रहा है, लेकिन खगड़िया को नहीं दिया जा रहा है। खगड़िया को भी चुपका से बिजली दी जाय। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिजली एक घंटा भी नहीं मिलती है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि खगड़िया शहर के लोगों को पीने के पानी के लिये प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं बिजली मंत्री से आग्रह करूँगा कि बिजली चुपका से नौगछिया को दे रहे हैं, नौगछिया में ग्रीड स्टेशन कायम हो गया है, और खगड़िया में अब तक ग्रीड स्टेशन नहीं बन सका है, जबकि खगड़िया जिला है और नवगछिया सबडिवीजन। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द, जो काम ग्रीड स्टेशन का प्रारम्भ हुआ है, पूरा करा दिया जाय.

ताकि खगड़िया को जो बिजली की कमी है, उसे दूर किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ दो-तीन रोड है जिसकी लम्बाई कुल 33 किलोमीटर होगी, महेशपुर से अगुआनी, मैं कई बार इसके सम्वन्ध में सदन में कह चुका हूँ कि काफी लोग कामर लेकर सहरसा जाते हैं, डुमरिया होकर। खगड़िया के लोग, सहरसा के लोग, वेगूसराय के लोग कामर लेकर जाते हैं। इस रोड की ऐसी स्थिति है कि अगर इस रोड की मरम्मती नहीं की जायेगी तो इस रोड पर पैदल चलना मुश्किल हो जायेगा। एक बाँध हमारे यहाँ बदलानगरनामा जो 33 किलोमीटर की है, इस बाँध पर सरकार अविलम्ब ध्यान दे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हुआ। सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 1987 के 11 बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना

तिथि 12 मार्च, 1987

विश्वेश्वर नाथ मेहरोत्रा

सचिव

बिहार विधान-सभा, पटना